मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018

(धारा 250 के अधीन निर्मित)

दिनांक 28 सितम्बर, 2018 से प्रभावशील

(14)

क्रमांक एफ-2-10/2018/सात/शा-6 भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 250 के साथ पठित धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (पैंसठ-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार (ग) में दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2565-63-81-सात-एन-1 दिनांक 15 सितम्बर, 1981 तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जो पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018 है।

(2) ये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रारंभ होने की तारीख से अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा।

3. यदि कोई व्यक्ति धारा 250 की उप-धारा (2) या (3) के अंतर्गत कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो तहसीलदार धारा 250 की उप-धारा (8) के अंतर्गत संबंधित उप-खंड अधिकारी को तद्नुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. तहसीलदार से नियम 3 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उप-खंड अधिकारी निर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त नियम में, प्ररूप-एक में यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी करेगा

कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किए गए दिन को उसके समक्ष उपसंजात हो और कारण दर्शाए कि भूमि पर यथास्थिति, अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली न करने के लिए सिविल कारागार में क्यों न परिरूद्ध किया जाए।

5. यदि ऐसा व्यक्ति, नियम 4 के अंतर्गत जारी की गई सूचना के अनुसरण में उसमें विनिर्दिष्ट दिन को उपसंजात नहीं होता है और निरन्तर अप्राधिकृत दखल या कब्जे में भी है तो उप-खंड अधिकारी धारा 250 के उपबंधों के अनुसार सिविल कारागार में परिरूद्ध किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्ररूप-दो में, एक वारंट जारी करेगा।

6. जहां भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा रखने वाला व्यक्ति नियम 4 के अंतर्गत जारी की गई सूचना के आज्ञानुवर्तन में उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात होता है वहां उपखंड अधिकारी उसे कारण दर्शाने का एक अवसर देगा कि भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली करने में असफल होने पर उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

7. नियम 6 के अंतर्गत जांच की समाप्ति पर उपखंड अधिकारी धारा 250 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को सिविल कारागार के सुपुर्द करने के आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले ही गिरफ्तार न किया गया हो तो उस दशा में उसे गिरफ्तार करवाएगा।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 55 के उपबंध, नियम 5 तथा 7 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

9. धारा 250 की उप-धारा (8) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत छोड़े जाने का आदेश प्ररूप-तीन में होगा।

10. किसी व्यक्ति को धारा 250 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सिविल कारागार में परिरूद्ध करने पर उपगत किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

186

प्ररूप -एक

[नियम 4 देखिए]

न्यायालय उप-खंड अधिकारी- ....जिला- ....

सूचना

प्रति,

श्री.....................................

निवासी.........................ग्राम........................तहसील............जिला..............

यतः, आप तहसील.......................................के तहसीलदार के आदेश क्रमांक............ दिनांक ....की अवज्ञा में, उक्त आदेश की तारीख के पश्चात् सतत् रूप में सात दिन से अधिक तक भूमि पर अप्राधिकृत रूप से दखल/कब्जा किए हुए हैं, अर्थात् :–

1. खसरा क्रमांक...
2. क्षेत्रफल...............हैक्टर
3. ग्राम/शहरी क्षेत्र..
4. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..................................
5. तहसील...

अतएव, आपसे एतद्द्वारा, यह अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख ....20...........को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो कर कारण दर्शाएं कि उक्त् भूमि का अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली करने में असफल होने के लिए आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

आज तारीख...को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

नाम................

मुद्रा

उप-खंड अधिकारी,

..............उप-खंड

787

प्ररूप -दो

[नियम 5 देखिए]

न्यायालय उप-खंड अधिकारी- ....जिला- ....

जेल सुपुर्द करने का वारंट

प्रति,

भारसाधक अधिकारी, जेल..

यत:, श्री...................................... मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 की उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत................ तहसील के तहसीलदार------- द्वारा जारी किए गए आदेश के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक निम्नलिखित भूमि पर निरंतर अप्राधिकृत दखल/कब्जा किए हुए हैं, अर्थात्: –

1. खसरा क्रमांक...
2. क्षेत्रफल..हैक्टर
3. ग्राम/नगरीय क्षेत्र..
4. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..................................
5. तहसील...

और यत:, श्री................................को न्यायालय के समक्ष तारीख..................को उपसंजात होने के लिए सूचना क्रमांक........................तारीख.......... के द्वारा कहा गया था,

और यत:, श्री...उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने में असफल हुए हैं;

या

और यत:, न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के पश्चात् वे इस न्यायालय का इस बाबत् समाधान नहीं कर सके हैं कि इस निमित्त उन्हें सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए;

अतएव, आपको एतद्द्वारा समादेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त..........................को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उन्हें तारीख ....से..............................तक...............................दिन की कालावधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) वहां कारावासित रखें।

आज तारीख...को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

नाम.................

मुद्रा

उप-खंड अधिकारी,

...................उप-खंड

783

प्ररूप-तीन

(नियम 9 देखिए)

न्यायालय उप-खंड अधिकारी ....जिला-................

छोड़े जाने के लिए आदेश

प्रति,

भारसाधक अधिकारी, जेल ....

यतः ....(कारावासित का नाम तथा विवरण) इस न्यायालय में वॉरंट दिनांक............माह..........20............वर्ष के अंतर्गत आपकी अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया गया था;

आज पारित आदेशों के अंतर्गत आपको एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि आज..............को, जो इस समय आपकी अभिरक्षा में है, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरूद्ध करना आवश्यक न हो मुक्त कर दें।

नाम.....................

तारीख.................

उप-खंड अधिकारी,

मुद्रा

....................उप-खंड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-2-10-2018-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग द्वारा बनाये गये नियम क्रमांक क्र. एफ-2-10-2018-सात-शा. 6 दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

789

Bhopal, the 28th September 2018

No.F-2-10/2018/VII/Se.6-In exercise of the powers conferred by section 250 and clause (lxv-a) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No.2565-63-81-VII-N-1-dated 15th September, 1981 and all rules previously made on the subject, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

RULES

1. **Short tile and commencement.-**

   (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Anuchit Roop Se Bekabja Kiye Gaye Bhumiswami Ka Punarsthapan) Niyam, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018) that is, 25th September, 2018.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

   (a) "Form" means a form appended to these rules;

   (b) "section" means a section of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

3. If any person continues in unauthorised occupation or possession of land for more than seven days after the date of order for restoration of

possession under sub-section (2) or (3) of section 250, the Tahsildar shall submit a report accordingly to the Sub-Divisional Officer concerned under sub-section (8) of section 250.

4. On receipt of the report from the Tahsildar under rule3, the Sub-Divisional Officer shall issue a notice in Form I to the person referred to in the said rule calling upon him to appear before him on a day specified therein to show cause why he should not be confined in civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of land, as the case may be.

5. If such person fails to appear in pursuance of the notice issued under rule 4, on a day specified therein and also continues in unauthorised occupation or possession, the Sub-Divisional Officer shall issue a warrant in Form II, for the arrest of such person for confining in civil prison in accordance with the provisions of section 250.

6. Where the person in unauthorised occupation or possession of land appears before the Sub-Divisional Officer in obedience to a notice issued under rule 4, the Sub-Divisional Officer shall give him an opportunity of showing cause why should he not be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of the land.

7. Upon the conclusion of the enquiry under rule 6 the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of section 250, make an order for committal of the person to civil prison and shall in that event cause him to be arrested if he is not already under arrest.

8. The provisions of section 55 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) shall apply *mutatis mutandis* to arrest under rules 5 and 7.

9. The order for release under the second proviso to sub-section (8) of section 250 shall be in Form III.

791

10. The expenditure incurred on the confinement of a person in civil prison under sub-section (8) of section 250 shall be borne by the State Government.

FORM-I

[See rule 4]

In the Court of Sub-Divisional Officer........................District.................

NOTICE

To,

Shri..................................

Resident of.........................Village................Tahsil............

District.......................................

Whereas, you have been in defiance of order No......................

dated....................of the Tahsildar....................Tahsil....................continuing in unauthorised occupation/possession of the land, namely:-

1. Khasra No.........................
2. Area..................................*Hectares*
3. Village/Urban area.................................
4. Patwari Halka No/Sector No..........................
5. Tahsil...

for more than seven days after the date of the said order.

Now, therefore, you are hereby called upon to appear before this Court on the............day of...........20.......to show cause why you should not be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of the said land.

Given under my hand and the seal of the Court this day of.............20........

Seal

Name..................

Sub-Divisional Officer,

Sub-Division

792

FORM-II

[See rule 5]

In the Court of Sub-Divisional Officer.......................District................

Warrant of Committal of Jail

To,

The Officer-in- charge of the Jail at..................................

Whereas...............................has been continuing in unauthorised occupation/possession of the following land, namely:-

1. Khasra No........................
2. Area..................................Hectares
3. Village/Urban area.................................
4. Patwari Halka No/Sector No..........................
5. Tahsil..

for more than seven days after the date of an order of Tahsildar..........Tahsil...........issued under sub-section (2) and (3) of section 250 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959;

And whereas,.............................was called upon to appear before this court on.....vide notice No..........dated...........

And whereas, the said.......................has failed to appear before this court on the days specified in the said notice;

OR

And whereas, after having appeared before the Court, has not satisfied this Court as to why he should not be committed to civil prison on this account;

Now, therefore, you are hereby commanded and required to take and receive the said.............................into the civil prison and keep him imprisoned therein for a period of ....days, with effect from........to..........(both days inclusive).

Given under my hand and the seal of the Court, this..........day of...........20........

Seal

Name........................

Sub-Divisional Officer,

Sub-Division

793

FORM-III

[See rule 9]

In the Court of Sub-Divisional Officer.........................District............

Order for release

To,

The officer-in-charge of the Jail at.....................................

WHEREAS..................................*(name and description of prisoner)* was committed to your custody under warrant of the Court, dated the................day of.............20..........

Under orders passed this day, you are hereby directed to set free ....now in your custody unless he is liable to be detained for some other cause.

Date..................

Seal

Name.....................

Sub-Divisional Officer,

Sub-Division

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

734